देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या ...65.... / भू अ०   दिनांक : 19/01/18

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :— **अराजी रामसागर**, थाना—**मोहनपुर**, थाना सं०—**803**, अंचल—**मोहनपुर**, जिला—**देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **मोहनपुर से हंसडीहा नई रेल लाईन निर्माण परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—**अराजी रामसागर**, थाना—**मोहनपुर**, थाना सं०— **803**, अंचल—देवघर, जिला—**देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **2.09** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	13	रैयती	बाड़ी—2	0.17	कुशमी देवी वो सुनिता देवी वो छविया देवी पे० एतवारी महतो वो सुरेश यादव वो दिनेश यादव वो नवल किशोर यादव वो सिकन्दर यादव वो पप्पु यादव पे० रामकृष्ण महतो वो मन्दोदरी देवी पति विश्वनाथ यादव अंश समान सा०—बंका।	मौजा—किताराम सागर नं०—802	मौजा—सिघरायडीह नं०—804	अर्जित दाग का अंश रकवा	अर्जित दाग का अंश रकवा
2	6	3	रैयती	धानी—3	0.04	कमल सिंह वो कन्चन सिंह वो भाषण सिंह वो मोहन सिंह पे० भागो सिंह अंश समान सा०—तसरीया।				
3	6	29	रैयती	बाड़ी—2	0.92	तथैव।				
4	6	2	रैयती	बाड़ी—2	0.01	तथैव।				
5	7	6	रैयती	धानी—1	0.41	हरदयाल यादव वो नन्द कुमार यादव वो नुनदेव यादव वो त्रिलोकी यादव पे० जगरनाथ महतो वो वसन्ति देवी पति स्व० बासुदेव यादव वो महेश्वर प्र० यादव वो जितेन्द्र यादव वो बिनोद यादव वो अशोक यादव पे० बैजनाथ महतो वो पंचानन्द महतो पे० कटकी महतो वो रामटहल यादव वो दशरथ यादव वो सुरेन्द्र यादव वो राजेश यादव पे० शारदा महतो अंश समान सा० बंका।				
6	7	12	रैयती	धानी—2	0.01	हरदयाल यादव वो नन्द कुमार यादव वो नुनदेव यादव वो त्रिलोकी यादव पे० जगरनाथ महतो वो वसन्ती देवी पति स्व० वासुदेव यादव वो महेश्वर प्र० यादव वो जितेन्द्र यादव वो बिनोद यादव वो अशोक यादव पे० बैजनाथ महतो वो पंचानन्द महतो पे० कटकी महतो				

						अंश समान सा०–बंका।				
7	7	4	रैयती	धानी–1	0.35	कुशमी देवी वो सुनिता देवी वो छविया देवी पे० एतवारी महतो वो सुरेश यादव वो दिनेश यादव वो नवल किशोर यादव वो सिकन्दर यादव वो पप्पु यादव पे० रामकृष्ण महतो वो मंदोदरी देवी पति स्व० विश्वनाथ यादव वो गौरी देवी पति स्व० विशेश्वर यादव वो विमलेश्वर यादव वो बकेश्वर यादव पे० देवेन्द्र महतो वो अवधकिशोर यादव वो नरेश यादव पे० हरि महतो वो सुलोचना देवी पति स्व० सुबोध यादव अंश समान सा० बंका।				
8	8	10	रैयती	बाड़ी–2	0.04	मंगरी देवी वो सावित्री देवी पे० कटकी सिंह वो भूनेश्वर सिंह वो युगल सिंह पे० केशेवर सिंह वो शांति देवी वो पिंकी देवी वो रिंकी देवी पे० चमरू सिंह अंश समान सा० देह।				
9	8	9	रैयती	धानी–2	0.08	तथैव।				
10	8	8	रैयती	धानी–1	0.06	तथैव।				
कुल रकवा–					**2.09**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

19/1/18

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक ......65....... / भू अ0, देवघर, दिनांक ....19/01/18....

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

19/1/18

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

e:\2015 l.a (b.k.)\new rail 2017-18\notification\2nd time\araji ramsagar.docx